

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous III Bail Application No. 10872/2025

Smt. Lalita Sharma @ Gudia (Called Maya) W/o Shri Shambhu Sharma, R/o Ganpat Bhawan, Near Gopal Ji Ki Kirana Shop, Azad Nagar, Kishangarh District Ajmer, Police Station Kishangarh, District Ajmer, Rajasthan. (Presently Confined At Central Jail Ajmer).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Nikita Bhandari
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

09/02/2026

प्रार्थिया/अभियुक्ता की ओर से जमानत का यह तृतीय प्रार्थना-पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस थाना मदनगंज जिला अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 303/2023 अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भारतीय दण्ड संहिता में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया/अभियुक्ता का तर्क है कि दिनांक 04.02.2025 को अभियुक्ता का द्वितीय जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त होने के बाद उसकी अभिरक्षा अवधि एक वर्ष और बढ़ चुकी है और कुल 1 वर्ष 7 माह की अवधि उसे अभिरक्षा में हो चुकी है। प्रार्थिया महिला है। पूर्व प्रार्थना-पत्र निरस्त होने के बाद पी0ड01 सुरेन्द्र कुमार परीक्षित हुआ है जिसका अभी कथन अधूरा है तथा शेष दो साक्षीगण सूरज पी0ड02 एवं जितेन्द्र पी0ड03 अभियोजन के प्रति पक्षद्रोही रहे हैं। उनका तर्क है कि चार गवाहों के बाद प्रकरण में और कोई गवाह भी परीक्षित नहीं हुआ है, अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थिया/अभियुक्ता को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि दिनांक 04.02.2025 को जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त होने के बाद प्रकरण की परिस्थितियों में कोई सारवान परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी प्रकरण में और गवाह होना शेष है, परिवादी का बयान भी अधूरा है। अतः प्रार्थिया/अभियुक्ता को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थिया/अभियुक्ता महिला है, जिसकी जमानत का द्वितीय प्रार्थना-पत्र दिनांक 04.02.2025 को निरस्त होने के बाद एक वर्ष से अधिक समय अभिरक्षा में हो चुका है, वह दिनांक 08.07.2024 से अभिरक्षा में है तथा उसकी कुल अभिरक्षा अवधि लगभग पौने दो साल हो चुकी है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियोजन की ओर से चार साक्षी परीक्षित हुए हैं, अभी और साक्षी परीक्षित होना शेष है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया/अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों तथा अभियुक्ता की बढ़ी हुई अभिरक्षा की अवधि को ध्यान में रखते हुए बदली हुई परिस्थितियों में प्रकरण के इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थिया/अभियुक्ता **ललिता शर्मा उर्फ गुडिया पत्नी शम्भू शर्मा** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(SHUBHA MEHTA),J